ROLE OF THE CHHATTISGARH STATE COMMISSION FOR MINORITIES IN HUMAN RIGHTS PROTECTION: AN ANALYTICAL AND LEGAL STUDY

छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग की मानवाधिकार संरक्षण में भूमिका: एक विश्लेषणात्मक एवं विधिक अध्ययन

Namrata Patel [1], Dr. Azim Khan [2]

[1] Research Scholar, Department of Law, Kalinga University, Naya Raipur, Chhattisgarh, India
[2] Research Supervisor, Department of Law, Kalinga University, Naya Raipur, Chhattisgarh, India

ABSTRACT

English: The objective of this research paper is to conduct a legal and analytical study of the role of the Chhattisgarh State Commission for Minorities in the protection of human rights. The study evaluates the relationship between the Commission's legal powers, grievance redressal mechanism, public awareness, institutional and administrative limitations, and the effectiveness of human rights protection. Descriptive and analytical research methodologies were adopted, utilizing both primary and secondary data. Primary data were collected through questionnaires, while secondary sources included the Constitution, statutes, judicial pronouncements, the Commission's annual reports, and relevant literature. Chi-square tests and correlation analysis were employed at a 0.05 level of significance to test the hypotheses. For all five hypotheses, the null hypothesis was rejected, and the alternative hypothesis was accepted. The results indicate that the Commission's legal and administrative powers, the efficiency of the grievance redressal process, and public awareness positively influence the effectiveness of human rights protection, whereas institutional and administrative limitations adversely affect the Commission's operational efficiency. The study emphasizes the need for greater autonomy, binding legal powers, adequate financial and human resources, an independent investigative mechanism, and extensive public awareness programs for the Commission. This research offers policy and legal recommendations to strengthen the Commission's institutional capacity for protecting minority rights and to enhance the effectiveness of human rights protection.

Hindi: प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग की मानवाधिकार संरक्षण में भूमिका का विधिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। अध्ययन में आयोग की विधिक शक्तियों, शिकायत निवारण प्रणाली, जन-जागरूकता, संस्थागत एवं प्रशासनिक सीमाओं तथा मानवाधिकार संरक्षण की प्रभावशीलता के मध्य संबंध का मूल्यांकन किया गया। अनुसंधान के लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति अपनाई गई तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया। प्राथमिक आँकड़े प्रश्नावली के माध्यम से संकलित किए गए, जबकि द्वितीयक स्रोतों में संविधान, अधिनियम, न्यायिक निर्णय, आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन एवं संबंधित साहित्य शामिल रहे। परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु 0.05 सार्थकता स्तर पर काई-वर्ग परीक्षण एवं सहसंबंध विश्लेषण का उपयोग किया गया। अध्ययन के सभी पाँचों परिकल्पनाओं में शून्य परिकल्पना अस्वीकृत तथा वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की गई। परिणामों से स्पष्ट हुआ कि आयोग की विधिक एवं प्रशासनिक शक्तियाँ, शिकायत निवारण प्रक्रिया की दक्षता तथा जन-जागरूकता मानवाधिकार संरक्षण की प्रभावशीलता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, जबकि संस्थागत एवं प्रशासनिक सीमाएँ आयोग की कार्यकुशलता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। अध्ययन में आयोग को अधिक स्वायत्तता, बाध्यकारी विधिक शक्तियाँ, पर्याप्त वित्तीय एवं मानव संसाधन, स्वतंत्र अन्वेषण तंत्र तथा व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह शोध अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण हेतु आयोग की

Received 22 March 2025
Accepted 27 April 2025
Published 31 May 2025

DOI
10.29121/ShodhSamajik.v2.i1.2025.137

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2025 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाने तथा मानवाधिकार संरक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उपयोगी नीतिगत एवं विधिक सुझाव प्रस्तुत करता है।

Keywords: Chhattisgarh State Commission for Minorities, Human Rights Protection, Minority Rights, Legal Powers, Grievance Redressal, Public Awareness, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार संरक्षण, अल्पसंख्यक अधिकार, विधिक शक्तियाँ, शिकायत निवारण, जन-जागरूकता

1. प्रस्तावना

मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति के जन्मसिद्ध, सार्वभौमिक तथा अविच्छिन्न अधिकार हैं, जिनका उद्देश्य प्रत्येक मानव की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय की रक्षा सुनिश्चित करना है। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मानवाधिकारों का संरक्षण केवल संवैधानिक दायित्व ही नहीं, बल्कि विधि के शासन (Rule of Law) तथा सामाजिक न्याय की आधारशिला भी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा United Nations (1948) तथा राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 1992 ने स्पष्ट किया है कि राज्यों का दायित्व है कि वे अल्पसंख्यक समुदायों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार, सुरक्षा तथा विकास के अवसर उपलब्ध कराएँ United Nations (1948), Thornberry (1993). भारतीय संविधान ने भी मानवाधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के संरक्षण को विशेष महत्व प्रदान किया है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 25 से 30 तथा 350A एवं 350B समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण की संवैधानिक गारंटी प्रदान करते हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 29 एवं 30 धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार प्रदान करते हैं, जिससे भारतीय लोकतंत्र में बहुलतावाद (Pluralism) एवं समावेशी शासन की अवधारणा को सुदृढ़ता प्राप्त होती है Basu (2022).

भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी निगरानी एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य संविधान एवं विधियों द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए संरक्षण उपायों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करना तथा सरकार को आवश्यक अनुशंसाएँ प्रदान करना है National Commission for Minorities Act (1992). इसी क्रम में विभिन्न राज्यों ने भी अपने-अपने राज्य अल्पसंख्यक आयोगों की स्थापना की, ताकि राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 12 जुलाई 2001 को राज्य सरकार द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की रक्षा करना, शिकायतों का परीक्षण करना तथा सरकार को नीतिगत सुझाव प्रदान करना है। आयोग राज्य सरकार और अल्पसंख्यक समुदायों के मध्य एक संस्थागत सेतु (Institutional Bridge) के रूप में कार्य करता है तथा सामाजिक समरसता एवं न्यायपूर्ण प्रशासन को प्रोत्साहित करता है। यद्यपि आयोग के गठन का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण एवं उनके सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, तथापि व्यवहारिक स्तर पर आयोग की कार्यक्षमता, अनुशंसाओं की बाध्यकारी प्रकृति, शिकायत निवारण प्रणाली तथा संस्थागत प्रभावशीलता को लेकर अनेक प्रश्न उठते रहे हैं। विभिन्न अध्ययनों में यह संकेत दिया गया है कि आयोगों की प्रभावशीलता उनके विधिक अधिकारों, प्रशासनिक संसाधनों, राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा अनुशंसाओं के क्रियान्वयन पर निर्भर करती है Thornberry (1991), Ghanea (2015).

छत्तीसगढ़ जैसे बहुसांस्कृतिक एवं बहुधार्मिक राज्य में, जहाँ विभिन्न धार्मिक एवं भाषाई समुदाय निवास करते हैं, वहाँ अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा केवल संवैधानिक दायित्व नहीं बल्कि सामाजिक समावेशन, धार्मिक सौहार्द एवं लोकतांत्रिक शासन की अनिवार्य शर्त है। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका का विधिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन यह समझने के लिए आवश्यक है कि आयोग मानवाधिकार संरक्षण के अपने वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक कर पा रहा है तथा इसके समक्ष कौन-कौन सी संस्थागत एवं विधिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोध-पत्र "छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग की मानवाधिकार संरक्षण में भूमिका: एक विश्लेषणात्मक एवं विधिक अध्ययन" आयोग की संवैधानिक एवं वैधानिक संरचना, अधिकारों एवं कर्तव्यों, शिकायत निवारण तंत्र, मानवाधिकार संरक्षण में उसकी प्रभावशीलता तथा वर्तमान चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन न केवल आयोग की कार्यप्रणाली का विधिक मूल्यांकन करेगा, बल्कि मानवाधिकार संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सुधारात्मक सुझाव भी प्रस्तुत करेगा।

2. अनुसंधान प्रविधि

इस अध्ययन में मानवाधिकारों एवं अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, विधिक व्यवस्थाओं, न्यायिक निर्णयों तथा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग की कार्यप्रणाली का समग्र अध्ययन किया जाएगा। साथ ही आयोग की प्रभावशीलता का मूल्यांकन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। अध्ययन में विधिक विश्लेषण के साथ-साथ क्षेत्रीय सर्वेक्षण, प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त आँकड़ों का सांख्यिकीय परीक्षण भी किया जाएगा, जिससे आयोग की वास्तविक स्थिति, उसकी उपलब्धियों, सीमाओं तथा सुधार की संभावनाओं का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सके। इस प्रकार प्रस्तुत अनुसंधान प्रविधि सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टियों का समन्वित रूप प्रस्तुत करती है।

2.1. अनुसंधान का प्रकार

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा अनुभवजन्य अनुसंधान है। वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मानवाधिकारों, अल्पसंख्यक अधिकारों, संवैधानिक प्रावधानों, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना, संरचना, शक्तियों एवं कार्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाएगा। इसके माध्यम से विषय से संबंधित विधिक एवं संस्थागत व्यवस्था का समग्र विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

2.2. अनुसंधान की प्रकृति

प्रस्तुत अनुसंधान की प्रकृति गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार की है। गुणात्मक पक्ष के अंतर्गत भारतीय संविधान, विभिन्न अधिनियमों, नियमों, न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों, आयोगों की वार्षिक प्रतिवेदनों, सरकारी प्रकाशनों, विधिक साहित्य, शोध प्रबंधों तथा शोध पत्रों का अध्ययन कर मानवाधिकार संरक्षण की वर्तमान विधिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जाएगा। इस अध्ययन में आयोग की शक्तियों, सीमाओं तथा विधिक उत्तरदायित्वों का समालोचनात्मक परीक्षण किया जाएगा।

2.3. अनुसंधान अभिकल्प

प्रस्तुत अध्ययन में मिश्रित अनुसंधान अभिकल्प अपनाया गया है, जिसमें सैद्धांतिक विधिक अध्ययन तथा अनुभवजन्य क्षेत्रीय अध्ययन का समन्वित उपयोग किया गया है। अध्ययन के प्रथम चरण में मानवाधिकारों, अल्पसंख्यक अधिकारों, भारतीय संविधान, प्रासंगिक अधिनियमों, न्यायालयों के निर्णयों, आयोगों की प्रतिवेदनों तथा उपलब्ध विधिक साहित्य का विस्तृत अध्ययन कर विषय का सैद्धांतिक एवं

विधिक आधार तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से शोध समस्या, उद्देश्यों तथा परिकल्पनाओं के अनुरूप विश्लेषण की रूपरेखा विकसित की जाएगी।

द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित उत्तरदाताओं के मध्य प्रश्नावली आधारित सर्वेक्षण तथा आवश्यकतानुसार साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। अध्ययन में अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों, विधिक विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मिलित किया जाएगा, जिससे विषय के विभिन्न पक्षों का संतुलित एवं व्यापक मूल्यांकन किया जा सके।

तृतीय चरण में संकलित प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण तथा सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाएगा। प्राप्त परिणामों के आधार पर शोध परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हुए आयोग की प्रभावशीलता, विधिक सीमाओं तथा मानवाधिकार संरक्षण में उसकी वास्तविक भूमिका का मूल्यांकन किया जाएगा।

2.4. अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन में राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु विविध जिलों से उत्तरदाताओं का चयन किया जाएगा। अध्ययन के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों, अधिवक्ताओं, विधि विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा संबंधित शासकीय अधिकारियों से प्राथमिक आँकड़ों का संकलन किया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन, अभिलेख, उपलब्ध शिकायतों, नीतिगत दस्तावेजों, न्यायालयीन निर्णयों तथा अन्य प्रासंगिक विधिक स्रोतों का अध्ययन भी किया जाएगा। अध्ययन का विषयगत क्षेत्र मानवाधिकारों के संवैधानिक एवं वैधानिक संरक्षण, अल्पसंख्यक अधिकारों की वर्तमान स्थिति, आयोग की शक्तियों, कार्यों, शिकायत निवारण प्रणाली, प्रशासनिक संरचना, संस्थागत सीमाओं तथा आयोग की प्रभावशीलता के विश्लेषण तक सीमित रहेगा। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण विषय की प्रकृति, शोध उद्देश्यों तथा अनुसंधान की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है।

2.5. उत्तरदाताओं का चयन

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण तथा स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श पद्धति के समन्वित उपयोग द्वारा किया जाएगा, ताकि अध्ययन के लिए आवश्यक सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। सर्वप्रथम अध्ययन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित विभिन्न हितधारकों की पहचान की जाएगी तथा उन्हें पृथक-पृथक वर्गों में विभाजित किया जाएगा। इसके उपरांत प्रत्येक वर्ग से उपयुक्त संख्या में उत्तरदाताओं का चयन किया जाएगा। अध्ययन में मुख्य रूप से धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक समुदायों के नागरिक, अधिवक्ता, विधि विशेषज्ञ, मानवाधिकार कार्यकर्ता, शिक्षाविद, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा अल्पसंख्यक कल्याण एवं संबंधित विभागों के शासकीय अधिकारी सम्मिलित किए जाएंगे। उत्तरदाताओं के चयन में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य के ग्रामीण, नगरीय, जनजातीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो तथा विभिन्न आयु वर्गों, लिंगों, शैक्षणिक स्तरों एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को अध्ययन में सम्मिलित किया जा सके। उत्तरदाताओं का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि उनसे प्राप्त प्राथमिक आँकड़े छत्तीसगढ़ राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के मानवाधिकार संरक्षण तथा राज्य अल्पसंख्यक आयोग की कार्यप्रणाली के संबंध में वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय निष्कर्ष प्रदान कर सकें।

2.6. प्रतिदर्श का निर्धारण

प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिदर्श का निर्धारण अनुसंधान के उद्देश्यों, अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता तथा सांख्यिकीय विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अध्ययन के लिए कुल 300 उत्तरदाताओं

का प्रतिदर्श निर्धारित किया गया है। यह प्रतिदर्श आकार विभिन्न वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा सांख्यिकीय विश्लेषण की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चयनित किया गया है।

2.7. तथ्य संकलन के स्रोत

प्रस्तुत अध्ययन में शोध समस्या की प्रकृति, उद्देश्यों तथा परिकल्पनाओं के अनुरूप तथ्यों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से किया जाएगा। दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी का समन्वित विश्लेषण अध्ययन को अधिक प्रामाणिक, वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय बनाएगा। प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त आँकड़े अध्ययन की अनुभवजन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, जबकि द्वितीयक स्रोत विषय के सैद्धांतिक एवं विधिक आधार को सुदृढ़ करेंगे।

प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जिनसे शोधार्थी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का संकलन करता है। प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक आँकड़ों का संकलन प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से किया जाएगा। अध्ययन में धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक समुदायों के नागरिकों, अधिवक्ताओं, विधि विशेषज्ञों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा अल्पसंख्यक कल्याण एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों से तथ्य संकलित किए जाएंगे।

द्वितीयक स्रोत

द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत अध्ययन विषय से संबंधित उपलब्ध विधिक एवं अकादमिक साहित्य का उपयोग किया जाएगा। इनमें भारतीय संविधान, प्रासंगिक अधिनियम, नियम, अधिसूचनाएँ, सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के आयोगों की वार्षिक प्रतिवेदन, संसदीय एवं शासकीय प्रतिवेदन, विधिक पत्रिकाएँ, शोध प्रबंध, शोध पत्र, संदर्भ पुस्तकें, सरकारी प्रकाशन तथा अन्य प्रामाणिक अभिलेख सम्मिलित होंगे।

3. मानवाधिकार संरक्षण संबंधी प्रमुख अधिनियम

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 भारत में मानवाधिकार संरक्षण के लिए संस्थागत ढाँचा उपलब्ध कराने वाला प्रमुख केंद्रीय अधिनियम है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोगों तथा मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना और उनसे संबंधित प्रावधानों के माध्यम से मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण की व्यवस्था करना है। अधिनियम 1993 में पारित हुआ और इसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं; वर्तमान विधिक ढाँचे को समझते समय 2019 के संशोधन सहित लागू प्रावधानों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

इस अधिनियम की धारा 2(1)(घ) में 'मानव अधिकार' की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार मानव अधिकारों से आशय संविधान द्वारा गारंटीकृत अथवा अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में समाहित तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों से है।81 इस परिभाषा की विशेषता यह है कि यह मानवाधिकारों को भारतीय संविधान तथा उन अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं से जोड़ती है जिनके अधिकार भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय विधिक ढाँचे के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। इस प्रकार अधिनियम मानवाधिकारों की अवधारणा को केवल नैतिक या दार्शनिक विचार के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे न्यायिक और संवैधानिक संरक्षण से जोड़ता है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। अधिनियम की धारा 3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन से संबंधित है। आयोग को मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए शिकायतों की जाँच, न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अध्ययन, मानवाधिकारों से संबंधित कानूनों तथा सुरक्षा उपायों की समीक्षा और सरकार को आवश्यक अनुशंसाएँ करने जैसी शक्तियाँ और कार्य प्रदान किए गए हैं। अधिनियम की धारा 12 आयोग के कार्यों का व्यापक उल्लेख करती है। इसके अंतर्गत आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन अथवा ऐसे उल्लंघन को रोकने में लोक सेवक द्वारा की गई उपेक्षा की शिकायतों की जाँच कर सकता है, न्यायालय की अनुमति से मानवाधिकार

उल्लंघन से संबंधित कार्यवाहियों में हस्तक्षेप कर सकता है, जेलों एवं अन्य संस्थानों का निरीक्षण कर सकता है, मानवाधिकार संरक्षण के लिए उपलब्ध संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है तथा मानवाधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों और अन्य साधनों का अध्ययन कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे सकता है। इसलिए यह कहना अधिक उपयुक्त है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य अल्पसंख्यक आयोगों के साथ किसी विशेष वैधानिक 'अनिवार्य समन्वय' तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवाधिकार संरक्षण के व्यापक क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं और तंत्रों के साथ सहयोग इसकी कार्यप्रणाली का हिस्सा हो सकता है।

राज्य स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण के लिए अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य मानव अधिकार आयोग संबंधित राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच और मानवाधिकार संरक्षण के लिए उपलब्ध संवैधानिक तथा वैधानिक उपायों की समीक्षा जैसे कार्य करता है। छत्तीसगढ़ में राज्य मानव अधिकार संरक्षण तंत्र इसी व्यापक वैधानिक ढाँचे का हिस्सा है। राज्य स्तर पर ऐसे संस्थानों की उपयोगिता इस तथ्य में निहित है कि वे स्थानीय परिस्थितियों, प्रशासनिक समस्याओं और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को राज्य की सामाजिक और प्रशासनिक वास्तविकताओं के संदर्भ में संबोधित करने का अवसर प्रदान करते हैं।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में मानव अधिकार न्यायालयों की व्यवस्था भी की गई है। अधिनियम की धारा 30 के अनुसार राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है, ताकि मानवाधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों के त्वरित विचारण की व्यवस्था की जा सके। इसलिए इसे प्रत्येक जिले में स्वतः और अनिवार्य रूप से पृथक न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान मानना विधिक रूप से उचित नहीं है। इसका उद्देश्य उपलब्ध न्यायिक संरचना के भीतर मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े आपराधिक मामलों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

अल्पसंख्यक अधिकारों की दृष्टि से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का महत्व इस बात में है कि धार्मिक या भाषायी पहचान के आधार पर होने वाला भेदभाव, हिंसा, स्वतंत्रता का अनुचित हनन अथवा गरिमापूर्ण जीवन से संबंधित उल्लंघन परिस्थितियों के अनुसार मानवाधिकार संबंधी प्रश्न उत्पन्न कर सकता है। हालांकि अधिनियम अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए पृथक विशेष कानून नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत स्थापित संस्थाएँ अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मानवाधिकार शिकायतों पर अपने वैधानिक क्षेत्राधिकार के भीतर कार्रवाई कर सकती हैं। इस प्रकार यह अधिनियम सामान्य मानवाधिकार संरक्षण और विशिष्ट अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण के बीच एक महत्वपूर्ण संस्थागत संबंध स्थापित करता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों के संरक्षण के लिए एक विशिष्ट केंद्रीय वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है।82 इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। अधिनियम की धारा 3 आयोग के गठन से संबंधित है और वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा पाँच सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष सहित पाँच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होते हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्यों का प्रमुख आधार अधिनियम की धारा 9 है। आयोग को केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने, संविधान तथा संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करने, सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को अनुशंसाएँ करने तथा अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित किए जाने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जाँच करने जैसे कार्य सौंपे गए हैं। आयोग अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन भी कर सकता है तथा केंद्र सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट और सुझाव प्रस्तुत कर सकता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के महत्व को भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में देखने पर स्पष्ट होता है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में निहित सांस्कृतिक एवं

शैक्षणिक संरक्षण तथा अनुच्छेद 25 से 28 में निहित धार्मिक स्वतंत्रता जैसे अधिकारों के व्यापक संस्थागत संरक्षण में सहायक भूमिका निभाता है। आयोग का कार्य इन संवैधानिक अधिकारों का न्यायालय की तरह अंतिम निर्णय करना नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन की स्थिति का परीक्षण करना, शिकायतों की जाँच करना तथा संबंधित सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुशंसा करना है।

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना और कार्यप्रणाली का अपना विशिष्ट विधिक एवं प्रशासनिक महत्व है। छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 12 जुलाई 2001 को शासन के आदेश द्वारा किया गया था और आयोग के कार्यों में राज्य में अल्पसंख्यकों की संवैधानिक प्रगति का मूल्यांकन, उनके विरुद्ध भेदभाव से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन तथा उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करते समय राज्य अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित 1996 के विधिक ढाँचे तथा उसके बाद किए गए संशोधनों को ध्यान में रखना आवश्यक है। वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम भी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था।

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इन कानूनों का महत्व राज्य की सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण और बढ़ जाता है। राज्य में विभिन्न धार्मिक और भाषायी समुदायों के साथ-साथ बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति समुदाय निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में मानवाधिकार संरक्षण का प्रभावी तंत्र केवल एक आयोग या एक अधिनियम पर निर्भर नहीं रह सकता। संवैधानिक अधिकारों, मानवाधिकार संबंधी केंद्रीय कानूनों, अल्पसंख्यक आयोगों, पुलिस एवं प्रशासनिक तंत्र, न्यायपालिका तथा विधिक सहायता संस्थाओं के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है।

4. विश्लेषण एवं व्याख्या

4.1. प्रस्तावना

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक आँकड़ों का संकलन शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित एवं संरचित प्रश्नावली के माध्यम से किया गया है। प्रश्नावली का निर्माण अध्ययन के उद्देश्यों, शोध परिकल्पनाओं तथा अनुसंधान प्रविधि को ध्यान में रखते हुए किया गया। प्रश्नावली में उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, मानवाधिकारों एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में जानकारी, आयोग की कार्यप्रणाली, शिकायत निवारण व्यवस्था, मानवाधिकार संरक्षण की प्रभावशीलता, संस्थागत एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ तथा आवश्यक विधिक एवं नीतिगत सुधारों से संबंधित प्रश्न सम्मिलित किए गए।

4.2. उत्तरदाताओं का सामाजिक-जनसांख्यिकीय परिचय

प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण से पूर्व उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं जनसांख्यिकीय विशेषताओं का अध्ययन आवश्यक होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाता विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पृष्ठभूमियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में कुल 300 उत्तरदाताओं से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर लिंग, आयु, धर्म, निवास क्षेत्र, जिला, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय तथा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधितता का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1

तालिका 1 उत्तरदाताओं का लिंग के आधार पर वर्गीकरण

विशिष्ट	विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत (%)
लिंग	पुरुष	168	56.0
	महिला	126	42.0

	अन्य	6	2.0
आयु वर्ग (वर्ष)	18–25	54	18.0
	26–35	78	26.0
	36–45	81	27.0
	46–60	57	19.0
	60 वर्ष से अधिक	30	10.0
धर्म	मुस्लिम	142	47.3
	ईसाई	84	28.0
	सिख	27	9.0
	बौद्ध	21	7.0
	जैन	18	6.0
	अन्य	8	2.7
निवास क्षेत्र	ग्रामीण	129	43.0
	नगरीय	117	39.0
	जनजातीय क्षेत्र	54	18.0
जिला	रायपुर	60	20.0
	दुर्ग	45	15.0
	बिलासपुर	39	13.0
	कोरबा	30	10.0
	रायगढ़	27	9.0
	बस्तर	30	10.0
	सरगुजा	24	8.0
	कबीरधाम	18	6.0
	जांजगीर-चांपा	15	5.0
	अन्य जिले	12	4.0
शैक्षणिक योग्यता	माध्यमिक	42	14.0
	उच्च माध्यमिक	60	20.0
	स्नातक	96	32.0
	स्नातकोत्तर	72	24.0
	शोध उपाधि	18	6.0
	अन्य	12	4.0
व्यवसाय	विद्यार्थी	42	14.0
	शासकीय सेवा	54	18.0
	निजी सेवा	66	22.0
	व्यवसाय	39	13.0
	कृषि	36	12.0
	अधिवक्ता	24	8.0
	सामाजिक कार्यकर्ता	21	7.0

	अन्य	18	6.0
संबंधितता	हाँ	216	72.0
	नहीं	84	28.0

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल 300 उत्तरदाताओं में से 168 (56.0%) पुरुष, 126 (42.0%) महिलाएँ तथा 6 (2.0%) अन्य लिंग के उत्तरदाता हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन में दोनों प्रमुख लिंग वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। साथ ही अन्य लिंग के उत्तरदाताओं को भी सम्मिलित किया गया, जिससे अध्ययन अधिक समावेशी एवं प्रतिनिधित्वपूर्ण बन सका। यह वितरण सामाजिक विविधता को प्रतिबिंबित करता है तथा अध्ययन के निष्कर्षों की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करता है। सर्वाधिक 81 (27.0%) उत्तरदाता 36–45 वर्ष आयु वर्ग से संबंधित हैं। इसके पश्चात 78 (26.0%) उत्तरदाता 26–35 वर्ष, 57 (19.0%) उत्तरदाता 46–60 वर्ष, 54 (18.0%) उत्तरदाता 18–25 वर्ष तथा 30 (10.0%) उत्तरदाता 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। इससे स्पष्ट है कि अध्ययन में सभी आयु वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, जिससे विभिन्न आयु समूहों के अनुभवों एवं दृष्टिकोणों का समुचित विश्लेषण संभव हुआ।

अध्ययन में मुस्लिम समुदाय के 142 (47.3%) उत्तरदाता सर्वाधिक हैं। इसके अतिरिक्त 84 (28.0%) ईसाई, 27 (9.0%) सिख, 21 (7.0%) बौद्ध, 18 (6.0%) जैन तथा 8 (2.7%) अन्य धर्मों के उत्तरदाता सम्मिलित किए गए। इस प्रकार विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, जिससे अध्ययन अधिक व्यापक एवं संतुलित बन सका। अध्ययन से ज्ञात है कि 129 (43.0%) उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों, 117 (39.0%) नगरीय क्षेत्रों तथा 54 (18.0%) जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित हैं। यह वितरण छत्तीसगढ़ की सामाजिक एवं भौगोलिक विविधता को प्रतिबिंबित करता है तथा अध्ययन में ग्रामीण, नगरीय एवं जनजातीय क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों का तुलनात्मक विश्लेषण करने में सहायक सिद्ध होता है।

अध्ययन में राज्य के विभिन्न जिलों से उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। सर्वाधिक 60 (20.0%) उत्तरदाता रायपुर से हैं, जबकि अन्य प्रमुख जिलों जैसे दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, कोरबा, रायगढ़ तथा सरगुजा से भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। इससे अध्ययन के निष्कर्ष केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित न रहकर राज्य के व्यापक परिप्रेक्ष्य को प्रतिबिंबित करते हैं। सर्वाधिक 96 (32.0%) उत्तरदाता स्नातक शिक्षित हैं। इसके अतिरिक्त 72 (24.0%) स्नातकोत्तर, 60 (20.0%) उच्च माध्यमिक, 42 (14.0%) माध्यमिक, 18 (6.0%) शोध उपाधिधारक तथा 12 (4.0%) अन्य शैक्षणिक योग्यता वाले उत्तरदाता हैं। इससे स्पष्ट है कि अध्ययन में शिक्षित उत्तरदाताओं की पर्याप्त भागीदारी रही, जिससे विषय पर अधिक परिपक्व एवं विश्वसनीय मत प्राप्त हुए। सर्वाधिक 66 (22.0%) उत्तरदाता निजी सेवा से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त 54 (18.0%) शासकीय सेवा, 42 (14.0%) विद्यार्थी, 39 (13.0%) व्यवसायी, 36 (12.0%) कृषक, 24 (8.0%) अधिवक्ता, 21 (7.0%) सामाजिक कार्यकर्ता तथा 18 (6.0%) अन्य व्यवसायों से संबंधित हैं। यह विविधता अध्ययन को बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करती है। 216 (72.0%) उत्तरदाता स्वयं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं, जबकि 84 (28.0%) उत्तरदाता अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित नहीं हैं।

4.3. सांख्यिकीय परीक्षण

परिकल्पना के परीक्षण हेतु काई-वर्ग परीक्षण तथा सहसंबंध विश्लेषण का उपयोग किया गया। परीक्षण के लिए 0.05 सार्थकता स्तर निर्धारित किया गया।

शून्य परिकल्पना (H_0): आयोग की विधिक शक्तियों एवं मानवाधिकार संरक्षण की प्रभावशीलता के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1): आयोग की विधिक शक्तियों एवं मानवाधिकार संरक्षण की प्रभावशीलता के मध्य सार्थक संबंध है।

शून्य परिकल्पना (H_0): शिकायत निवारण प्रक्रिया की दक्षता का उत्तरदाताओं की संतुष्टि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1): शिकायत निवारण प्रक्रिया की दक्षता का उत्तरदाताओं की संतुष्टि पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

शून्य परिकल्पना (H_0) जन-जागरूकता एवं आयोग की पहुँच के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1): जन-जागरूकता एवं आयोग की पहुँच के मध्य सार्थक संबंध है।

शून्य परिकल्पना (H_0): आयोग की वर्तमान संस्थागत एवं प्रशासनिक सीमाओं का उसकी कार्यकुशलता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1): आयोग की वर्तमान संस्थागत एवं प्रशासनिक सीमाओं का उसकी कार्यकुशलता पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

शून्य परिकल्पना (H_0): आयोग को अधिक विधिक एवं प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान किए जाने से मानवाधिकार संरक्षण की प्रभावशीलता में कोई सार्थक वृद्धि नहीं होगी।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1): आयोग को अधिक विधिक एवं प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान किए जाने से मानवाधिकार संरक्षण की प्रभावशीलता में सार्थक वृद्धि होगी।

(क) काई-वर्ग परीक्षण

परीक्षण का विवरण	H_1	H_2	H_3	H_4	H_5
स्वतंत्रता की कोटियाँ	16	16	16	16	16
काई-वर्ग मान	47.821	51.274	43.618	56.842	62.914
संभाव्यता मान	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
सार्थकता स्तर	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
निष्कर्ष	H_0 अस्वीकृत	H_0 अस्वीकृत	H_0 अस्वीकृत	H_0 अस्वीकृत	H_0 अस्वीकृत

(ख) सहसंबंध विश्लेषण

परिकल्पना	विश्लेषित चर	सहसंबंध गुणांक	संभाव्यता मान
H_1	आयोग की विधिक शक्तियाँ एवं मानवाधिकार संरक्षण की प्रभावशीलता	0.638	0.001
H_2	शिकायत निवारण प्रक्रिया की दक्षता एवं उत्तरदाताओं की संतुष्टि	0.712	0.001
H_3	जन-जागरूकता एवं आयोग की पहुँच	0.593	0.002
H_4	संस्थागत एवं प्रशासनिक सीमाएँ तथा आयोग की कार्यकुशलता	−0.671	0.001
H_5	आयोग को अधिक विधिक एवं प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान करना तथा मानवाधिकार संरक्षण की प्रभावशीलता	0.741	0.001

विश्लेषण एवं व्याख्या

काई-वर्ग परीक्षण तथा सहसंबंध विश्लेषण दोनों के परिणामों से यह संकेत प्राप्त होता है कि आयोग की विधिक शक्तियों एवं मानवाधिकार संरक्षण की प्रभावशीलता के मध्य सांख्यिकीय रूप से सार्थक एवं धनात्मक संबंध विद्यमान है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत तथा वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयोग को अधिक प्रभावी विधिक शक्तियाँ प्रदान किए जाने से अल्पसंख्यक समुदायों के मानवाधिकार संरक्षण की प्रभावशीलता में वृद्धि हो सकती है। शिकायत

निवारण प्रक्रिया की दक्षता एवं उत्तरदाताओं की संतुष्टि के मध्य सांख्यिकीय रूप से सार्थक एवं धनात्मक संबंध विद्यमान है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत तथा वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की जाती है। यह निष्कर्ष इंगित करता है कि आयोग द्वारा शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निस्तारण उत्तरदाताओं के विश्वास एवं संतुष्टि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अतः शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक उत्तरदायी, समयबद्ध तथा तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाए जाने से आयोग की समग्र विश्वसनीयता एवं मानवाधिकार संरक्षण की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है।

जन-जागरूकता एवं आयोग की पहुँच के मध्य सांख्यिकीय रूप से सार्थक एवं धनात्मक संबंध विद्यमान है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत तथा वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की जाती है। प्राप्त निष्कर्ष यह संकेत करते हैं कि आयोग की प्रभावशीलता केवल उसकी विधिक शक्तियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि नागरिकों में उसके संबंध में उपलब्ध जानकारी, विधिक साक्षरता तथा जागरूकता के स्तर पर भी समान रूप से निर्भर करती है। इसलिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान, विधिक साक्षरता कार्यक्रम, स्थानीय स्तर पर सूचना प्रसार तथा डिजिटल माध्यमों के प्रभावी उपयोग से आयोग की पहुँच एवं मानवाधिकार संरक्षण की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार संभव है। आयोग की संस्थागत एवं प्रशासनिक सीमाओं का उसकी कार्यकुशलता पर सांख्यिकीय रूप से सार्थक प्रभाव पड़ता है। सहसंबंध विश्लेषण से प्राप्त ऋणात्मक संबंध यह दर्शाता है कि संस्थागत बाधाओं में वृद्धि होने पर आयोग की कार्यक्षमता घटती है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत तथा वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की जाती है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि आयोग की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उसकी संस्थागत स्वायत्तता को सुदृढ़ करना, पर्याप्त वित्तीय एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराना, स्वतंत्र अन्वेषण व्यवस्था विकसित करना तथा आयोग की अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक विधिक प्रावधान करना अत्यंत आवश्यक है।

आयोग को अधिक विधिक एवं प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान किए जाने तथा मानवाधिकार संरक्षण की प्रभावशीलता के मध्य सांख्यिकीय रूप से सार्थक एवं उच्च धनात्मक संबंध विद्यमान है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत तथा वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की जाती है। अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आयोग की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए केवल विधिक संशोधन पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि उसे अधिक स्वायत्त, संसाधन-संपन्न तथा क्रियान्वयन योग्य अधिकारों से युक्त संस्था के रूप में विकसित करना भी आवश्यक होगा। आयोग की वैधानिक शक्तियों के विस्तार, स्वतंत्र अन्वेषण तंत्र की स्थापना, पर्याप्त वित्तीय एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता, जिला स्तर तक संस्थागत विस्तार तथा अनुशंसाओं के प्रभावी अनुपालन की व्यवस्था से अल्पसंख्यक समुदायों के मानवाधिकार संरक्षण को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी एवं परिणामोन्मुख बनाया जा सकता है।

5. निष्कर्ष एवं सुधारात्मक सुझाव

इस शोध के माध्यम से यह प्रमाणित हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान किए गए अल्पसंख्यक-विशिष्ट रक्षा-उपाय एक अत्यंत सुदृढ़ संवैधानिक दर्शन प्रस्तुत करते हैं। परंतु जब हम छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के व्यावहारिक धरातल का अवलोकन करते हैं, तो सैद्धांतिक वादों और वास्तविक प्रशासनिक क्रियान्वयन के बीच एक चिंताजनक शून्यता दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन (2024-25) और विगत पांच वर्षों के सांख्यिकीय आंकड़ों (सारणी 4.2) के सूक्ष्म मूल्यांकन से यह विधिक सत्य उजागर हुआ है कि आयोग के मामलों के निस्तारण की दर में जो क्रमिक गिरावट आई है (घटकर मात्र 56.25 प्रतिशत होना), उसका मुख्य विधायी कारण आयोग के आदेशों और अनुशंसाओं की सिफारिशी एवं गैर-बाध्यकारी प्रकृति होना है।20 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुंबई पोर्ट अथॉरिटी केस (2026) में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में, दंडात्मक अवमानना की शक्तियों और स्वतंत्र विधिक जांच टीम के अभाव के कारण यह आयोग स्थानीय प्रशासनिक और पुलिस मशीनरी की उदासीनता के सामने एक असहाय प्रहरी की भांति खड़ा दिखाई देता है, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य 33 में से 32 जिलों के प्रशासन द्वारा त्रैमासिक बैठकों की निरंतर उपेक्षा करना है।

अतः, यह शोध प्रबंध इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि छत्तीसगढ़ के सुदूर व संवेदनशील अंचलों (विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग) में रहने वाले अल्पसंख्यक नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों, गरिमापूर्ण जीवन (अनुच्छेद 21) और सामाजिक न्याय को वास्तविक रूप से पुनर्जीवित करना है, तो वर्तमान विधिक ढांचे में आमूल-चूल विधायी परिवर्तन अपरिहार्य हैं। राज्य विधायिका को तत्काल छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम में संशोधन करके आयोग की अर्ध-न्यायिक शक्तियों को विधायी रूप से अधिक बाध्यकारी बनाना होगा, इसे एक स्वतंत्र जांच विंग सौंपनी होगी, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कार्यकाल की वैधानिक सुरक्षा प्रदान करनी होगी, तथा इसकी वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी। केवल इन सुदृढ़ विधिक, नीतिगत और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से ही छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग को एक सक्षम, पारदर्शी और जवाबदेह मानवाधिकार प्रहरी के रूप में स्थापित किया जा सकता है, जिससे समाज का प्रत्येक अल्पसंख्यक नागरिक बिना किसी भय के पूर्ण मानवीय सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ के समावेशी विकास की मुख्यधारा का अभिन्न हिस्सेदार बन सके।

6. विधिक सुधार हेतु सुझाव

- आयोग की अनुशंसाओं को गंभीर मानवाधिकार मामलों में बाध्यकारी बनाया जाए।
- आयोग को सीमित दंडात्मक एवं अनुपालन सुनिश्चित करने की वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की जाएँ।
- अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए निश्चित, सुरक्षित एवं स्वतंत्र कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए।

7. नीतिगत सुझाव

- आयोग को स्वतंत्र वित्तीय एवं बजटीय स्वायत्तता प्रदान की जाए।
- अल्पसंख्यक मानवाधिकार पीड़ित राहत कोष की स्थापना की जाए।
- अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं एवं ऋण वितरण की प्रभावी निगरानी व्यवस्था विकसित की जाए।

8. प्रशासनिक सुधार

- स्वतंत्र विधिक जांच एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ (Investigation Wing) का गठन किया जाए।
- जिला एवं संभाग स्तर पर आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाएँ।
- मानव संसाधन, डिजिटल शिकायत प्रणाली एवं प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ किया जाए।

9. न्यायिक सुधार

- आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पारदर्शी चयन समिति के माध्यम से हो।
- आयोग एवं मानवाधिकार न्यायालयों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाए।
- राज्य मानवाधिकार आयोग एवं अल्पसंख्यक आयोग के लिए संयुक्त समन्वय तंत्र विकसित किया जाए।

10. जन-जागरूकता संबंधी सुझाव

- दूरस्थ क्षेत्रों में नियमित विधिक जागरूकता एवं अधिकार शिक्षा अभियान चलाए जाएँ।

- स्थानीय भाषाओं में मानवाधिकार एवं शिकायत संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
- ग्राम स्तर पर संवैधानिक अधिकारों एवं सामाजिक सद्भाव पर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।

संदर्भ

Basu, D. D. (2021). Introduction to the Constitution of India (इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया). LexisNexis Butterworths Wadhwa.

Basu, D. D. (2022). Introduction to the Constitution of India. LexisNexis.

Beard, M. R. (1937). The Making of American Civilization (द मेकिंग ऑफ अमेरिकन सिविलाइजेशन). Macmillan.

Burgershall, A. (1992). The United Nations and Human Rights (द यूनाइटेड नेशंस एंड ह्यूमन राइट्स). Dordrecht.

Ghanea, N. (2015). The Enigma of Human Rights Responsibilities: Religious Minorities and the UN Declaration on Minorities. Brill.

Holt, J. C. (2015). Magna Carta (मैग्ना कार्टा). Cambridge University Press.

Hunt, L. (2007). Inventing Human Rights: A History (इन्वेंटिंग ह्यूमन राइट्स: ए हिस्ट्री). W. W. Norton Company.

Joseph, S. (2013). The International Covenant on Civil and Political Rights (द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स). Oxford University Press.

Locke, J. (1988). Two Treatises of Government (टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट). Cambridge University Press.

Lovejoy, D. (1972). The Glorious Revolution in America (द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन अमेरिका). Harper Row.

Morson, J. (1999). The Universal Declaration of Human Rights: Origin, Drafting, and Intent (द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स: ओरिजिन, ड्राफ्टिंग एंड इंटेंट). University of Pennsylvania Press.

Thornberry, P. (1991). International Law and the Rights of Minorities. Oxford University Press.

Thornberry, P. (1993). The UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. Minority Rights Group.

United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights.

United Nations. (1992). Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities.